फाइल नं0-71-3002/15/2021-03

173/2026/।/1496084/2026

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 16 अक्टूबर, 2025**

विषय:- जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में एक मुश्त प्राविधानित कुल धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष रू0 2499.89 लाख के उपकरणों/फर्नीचरों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/812259/2026, दिनांक 01.10.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105 एलोपैथी-86-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना के अंर्तगत मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में एक मुश्त प्राविधानित कुल धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष रू० 2499.89 लाख के उपकरणों/फर्नीचरों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105 एलोपैथी-86-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना के अंर्तगत मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में एक मुश्त प्राविधानित कुल धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष रू० 2499.89 लाख के उपकरणों/फर्नीचरों की निम्नानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(रू0 लाख में)

क्र० सं०	**स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के नाम**	**प्राविधानित धनराशि के रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष चिकित्सा महाविद्यालयवार विभाजन**	**स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद	67.00	67.00
2	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच	67.00	67.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती		
4	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा	100.00	100.00
5	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई	100.00	100.00
6	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ	100.00	100.00
7	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर	100.00	100.00
8	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर	100.00	100.00
9	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया	100.00	100.00
10	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर	100.00	100.00
11	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मिर्जापुर	100.00	100.00
12	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बिजनौर	100.00	100.00
13	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कुशीनगर	100.00	100.00
14	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर	100.00	100.00
15	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गोंण्डा	100.00	100.00
16	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ललितपुर	100.00	100.00
17	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी	100.00	99.99
18	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चंदौली	100.00	99.90
19	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलदंशहर	100.00	100.00
20	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सोनभद्र	100.00	100.00
21	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत	100.00	100.00

http://shasanadesh.up.nic.in

22	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, औरैया	100.00	100.00
23	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर देहात	100.00	100.00
24	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी	100.00	100.00
25	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी	100.00	100.00
	कुल	**2500.00**	**2499.89**

3- उपर्युक्तानुसार उपकरण मद में निर्गत की जाने वाली धनराशि के व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण/फर्नीचर क्रय किये जायें। सभी उपकरणों/फर्नीचरों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ संबंधित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रधानाचार्य की होगी।
2. उपकरणों/फर्नीचरों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
3. उपकरणों/फर्नीचरों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों/फर्नीचरों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में अनावश्यक नहीं रखी जायेगी।**
6. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
7. सूची में अनुमोदित उपकरणों/फर्नीचरों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुन: सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण/फर्नीचर की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
9. उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
10. उपकरणों/फर्नीचरो के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11. उपकरणों/फर्नीचरों का क्रय वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
12. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों/फर्नीचरों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 24,99,89,000 (रुपये चौबीस करोड़ निन्यानबे लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058600 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना **मानक मद** 26 मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय- बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर, हदरोई, एटा, गोण्डा, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय- बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर, हदरोई, एटा, गोण्डा, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी- बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर, हदरोई, एटा, गोण्डा, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in